कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,
रायपुर (छ.ग.)

ज्ञाप. क्र. 1313 /कार्य /मु.अ./रा.रा./ रायपुर, दिनांक 27/5/2016

प्रति,

कलेक्टर
जिला– बीजापुर (छ.ग.)

विषयः– राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202 (नया रा.रा. क्र.163) के भोपालपटनम् से तारलागुड़ा – आन्ध्रप्रदेश सीमा तक मार्ग का LWE योजना अंतर्गत 2–लेन चौड़ीकरण का कार्य हेतु वन–भूमि का व्यपवर्तन के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. 2388/कले0/रीडर/2015 दिनांक 26.10.2015

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202 (नया रा.रा. क्र.163) के भोपालपटनम् से तारलागुड़ा – आन्ध्रप्रदेश सीमा तक मार्ग का LWE योजना अंतर्गत 2–लेन चौड़ीकरण का कार्य में प्रभावित वन–भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** के अंतर्गत स्वीकृति हेतु वन विभाग को प्रेषित किया जाना है। प्रभावित वन–भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव का ऑनलाईन पंजीयन हेतु भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाईट में आवेदन किया गया है। प्रभावित वन–भूमि का आरक्षित वन, संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन–भूमि का रकबा नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार है :–

स. क्र.	वनमंडल/ जिला	तहसील	आरक्षित वन हेक्ट. में	संरक्षित वन हेक्ट. में	बड़े झाड़/ छोटे झाड़ का जंगल (राजस्व वन भूमि) हेक्ट. में	कुल क्षेत्र हेक्ट. में
1	बीजापुर	भोपालपटनम्	51.153	28.158	25.574	104.885

उक्त प्रभावित वन–भूमि कुल 104.885 हेक्ट. के संबंध में वन अधिकार मान्यता (FRA) प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है। ऑनलाईन आवेदित पंजीयन में प्रकरण अंतर्गत नोडल अधिकारी द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी (Essential Details Sought) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के एकरेखण परियोजना में वन अधिकार मान्यता (FRA) प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु ग्राम सभा कराने की आवश्यकता नही है। पूर्व में कराई गई ग्राम सभा की अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा सत्यापित प्रति प्रदर्श–"ब" में प्राप्त किया जाकर वन अधिकार मान्यता प्रमाण–पत्र जारी की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा पूर्व में जारी वन अधिकार मान्यता (FRA) प्रमाण–पत्र में संशोधित कर उपरोक्त प्रभावित वन–भूमि 104.885 हेक्ट. का वन अधिकार मान्यता (FRA) प्रमाण–पत्र प्रदर्श–"स" में जारी करने का कष्ट करें।

सहपत्र:– उपरोक्तानुसार

27/5/16
मुख्य अभियंता
लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,
रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 27/5/2016

पृ. क्र. 1314 / कार्य /मु.अ./रा.रा./

प्रतिलिपि :–

1. **मुख्य वनसंरक्षक,** वन वृत्त, बस्तर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. **अधीक्षण अभियंता,** लो.नि.वि., रा.रा. मंडल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. **वनमण्डलाधिकरी,** बीजापुर वनमंडल, बीजापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. **कार्यपालन अभियंता,** राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लो.नि.वि., जगदलपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. **अनुविभागीय अधिकारी (रा.),** भोपालपटनम्/बीजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:– शून्य

27/5/16
मुख्य अभियंता
लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,
रायपुर (छ.ग.)
27/5

"ऊर्जा की बचत धन की बचत"